पुलिस शिकायत कमेटी का गठन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस !

सोमवार, 5 Oct 2015. राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अजीत सिंह की अगुवाई वाली दो जजों की डिविजनल बेंच ने एक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को पुलिस शिकायत कमेटी का अब तक गठन नहीं किये जाने पर नोटिस जारी किया है.

जनसत्याग्रहमंच के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री धर्मराज चंदेल द्वारा दायर इस याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेने, जबरन वसूली करने और मार-पीट आदि जैसे गंभीर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर एक स्वतंत्र और अलग आयोग/ प्राधिकरण गठन की मांग पर न्याय विभाग के मुख्य सचिव समेत सभी सचिवों को जबाब देने के लिए कहा है.

इस याचिका के अनुसार वर्ष 2007 में लागू राजस्थान पुलिस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिला स्तर पर पुलिस एकाउंटेबिलिटी कमेटियों का उप-पुलिस निरीक्षक के नीचे की श्रेणियों के पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आयी शिकायतों और गंभीर आपराधिक मामलों की जाँच करने के पुलिस एकाउंटेबिलिटी कमेटियों का गठन किया जाना था लेकिन आठ वर्षों के बीत जाने बाद भी अब तक ऐसा नहीं हुआ है. इसके आलावा भी एक राज्य स्तरीय पुलिस जाँच आयोग जिसके अधिकारों में उच्च पदों पर आसीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में जाँच करना शामिल है, आज भी बिना कार्यालय के कागजों में ही कार्यरत है और इसके लिए नियुक्त अधिकारियों को बाकायदा वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है.

ऐसी तमाम गड़बड़ियों को न्यायपालिका के समक्ष प्रकाश में लाने वाली इस याचिका के याचिकाकर्ता श्री धर्मराज चंदेल का कहना है कि पुलिसकर्मियों द्वारा आमजनों पर ज्यादतियों और अन्याय के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी आई है और यह वाकई सामाजिक चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि हाल ही दौर में बहुचर्चित संत आसाराम बापू केस में जोधपुर पुलिस के द्वारा ज्यादती और एकतरफा कार्यवाही करने, दलितों के ऊपर अत्याचार और जालोर में बलात्कार पीड़ित महिला पर अत्याचार प्रकरण समेत राज्य पुलिस के खिलाफ ऐसे कई मामले जो अख़बारों और समाचार एजेंसियों के माध्यम से उनके पर्यवेक्षण में आये थे जिनकी अधिक पड़ताल करने के बाद और साथ ही सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं जुटाने के बाद मुद्दे की गंभीरता उजागर हुई. गौरतलब महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरल समेत कई राज्यों में पुलिस जाँच आयोग गठित है और सुचारू रूप से कार्यरत है.

http://barandbench.com/law-student-approaches-rajasthan-hc-for-greater-accountability-in-the-police/